

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक/चिकि./2023/393

दिनांक :- 9/05/2023

## कार्यालय आदेश

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्न चिकित्सालय को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/नियम/2019 पार्ट-1 दिनांक 11 मार्च 2020 में निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रोविजनल मान्यता प्रदान की जाती है :-

क. सं.	अस्पताल का नाम मय पता	स्थान	विशेषता	प्रस्तावित छूट प्रतिशत
1	वैदिक सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर	जयपुर	मल्टी स्पेशियलिटी	10% in over all treatment
2	अमर मेडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर, सेक्टर-3, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर	जयपुर	मल्टी स्पेशियलिटी	20% in house investigation, 10% in IPD Services, Free OPD Consultation, Free Ambulance Service for Jaipur City
3	उर्मिल चैस्ट एण्ड जनरल हॉस्पिटल, 193, सावित्री विहार, पन्नाधाय सर्किल, प्रताप नगर, जयपुर	जयपुर	एलजी/अस्थना	20% in final bill payment
4	कृष्णा हार्ट एण्ड जनरल हॉस्पिटल, 138, प्रेम निवास, पंडित टी. एन. मिश्रा रोड, स्वामी विहार, गंगा जमुना पेट्रोल पम्प के पास, गोपालपुरा बाईपास, निर्माण नगर, जयपुर	जयपुर	कार्डियोलोजी सुपर स्पेशियलिटी	10% in OPD & IPD (Excluding Medicine and other implant)
5	S. N. Superspeciality Hospital Pvt. Ltd. हनुमानगढ़-सूरतगढ़ बाईपास, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	मल्टी स्पेशियलिटी	10% in OPD & IPD

उक्त आदेश संचालक मण्डल की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किए जाते हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

  
(अल्पा चौधरी)  
सचिव

### प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-मु./I/II, रा.आ.मं, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.मं, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता.....रा.आ.मं.....।
4. निदेशक विधि/मुख्य संपदा प्रबन्धक/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/उप सचिव/विशेषाधिकारी (भूमि)/संपदा प्रबन्धक (मुख्यालय/भूमि), रा.आ.मं, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
6. प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... रा.आ.मं,.....।
8. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड-..... रा.आ.मं,.....।
9. प्रभार, ..... (अस्पताल) को भेजकर लेख है कि मण्डल द्वारा निर्धारित नीति नियमों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावे।
10. नोटिस बोर्ड/निजी/रक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक